

वादी  
 1 बकसिंह पुत्र जुजारसिंह  
 जाति राजपुत नि. मडीया  
 तहसील व जिला सिरौही  
 व अन्य - 02

बनाम

प्रतिवादीगण  
 1. मलसिंह पुत्र स्व. लाखसिंह  
 जाति राजपुत नि. मडीया  
 तहसील व जिला सिरौही  
 व अन्य - 01

किस्म मुकदमा,  
 रा.वाद. अधारा 53,188 आर.टी. एक्ट

रा.वाद सं. 69/2020

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
24-08-2020	<p>वादी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.वाद अधारा 53,188 आर.टी.एक्ट का विरुद्ध प्रतिवादीगण का हमारे समक्ष इस न्यायालय में पेश किया। हमने उक्त रा.वाद व संलग्न दस्तावेजात प्रतियों का अवलोकन किया तथा उस पर मनन किया तो हम उक्त रा.वाद में अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टियों आश्वस्त होने से दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। मिसल आयन्दा वास्ते इन्तजार तामिली व जवाब प्रतिवादीगण हेतु दिनांक 09-10-2020 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)          सिरौही</p>	
दि 9-10-2020	<p><del>पतापत्र पेश हुये। वादी अधिवक्ता उक्त मलसिंह प्रतिवादी सं. 01 के कलमों के बीच राजीनामा रिफरिबल के द्वारा ही प्रतिवेष्टा की हुये जिसे उक्त मलसिंह अधिवक्ता पतापत्र दिनांक 2/11/2020 को पेश हुये। प्रतिवादी सं. 01 व 02 के सम्मान हाजिर न श्रुत पारल होने से उक्त मलसिंह अधिवक्ता</del></p>	
दि 2-11-2020	<p><del>पतापत्र पेश हुये। वादी अधिवक्ता उक्त मलसिंह प्रतिवादी सं. 01 के कलमों के बीच राजीनामा रिफरिबल के द्वारा ही प्रतिवेष्टा की हुये जिसे उक्त मलसिंह अधिवक्ता पतापत्र दिनांक 2/11/2020 को पेश हुये। प्रतिवादी सं. 01 व 02 के सम्मान हाजिर न श्रुत पारल होने से उक्त मलसिंह अधिवक्ता</del></p> <p><del>उक्त वादीगण अधिवक्ता से वादी अधिवक्ता ने विचार रचीने पारल के अनुसार नवी यमाने व खारिज कराने हेतु Not Press करवा जौना।</del></p> <p><del>विचार रचीने पारल बाद नोबर 53,188 आर.टी.एक्ट अधिवक्ता प्रतिवादीगण Not Press करने के अनुसार नवी यमाने व खारिज कराने हेतु Not Press करवा जौना।</del></p> <p><del>दो दिनांक से इजलास सुनाया। पतापत्र पेश हुये।</del></p>	<p><i>(Handwritten signatures and notes)</i></p>